प्रेषक:

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
इटावा

सेवा में,

प्रबन्धक लॉर्ड मदर प्राथमिक पब्लिक स्कूल
शास्त्री नगर बकेवर इटावा।

पत्रांक: व0 लि0–मान्यता / 569-70 / 2002–03 दिनांक : 8/5/03

विषय प्राथमिक विद्यालय की नवीन ''अस्थाई'' मान्यता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके विद्यालय की नवीन अस्थायी मान्यता का आवेदन पत्र सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/ नगर शिक्षा अधिकारी की अभीष्ट जॉच आख्या एवं संस्तुति के आधार पर जनपदीय समिति की बैठक में विचार किया गया। समिति द्वारा लिये गये निर्णयानुसार शासन की राजाज्ञा संख्या 1073/15–6–98 X 18 –एस–7/85 दिनांक 18 सितम्बर 1998 में निहित प्राविधानुसार, आपके विद्यालय की नवीन अस्थायी मान्यता की स्वीकृति शैक्षिक सत्र, 2002–03 से प्रदान की जाती है। इस अस्थायी मान्यता प्राप्ति के पॉच वर्ष में यह भी प्रतिबन्ध है कि इस अवधि की समाप्ति पर स्थायी मान्यता हेतु आवेदन करना अनिवार्य होगा तथा स्थायी मान्यता हेतु सभी शर्तो को आवश्यक रूप से इस अवधि के भीतर, आपके स्तर पर पूरा करना होगा।

जनसंख्या ए व क्षेत्रीय आवश्यकता तथा छात्रों के हित को दृष्टिगत रखते हुये जनहित में आपके द्वारा आवेदन तथा अंकित अपेक्षित/ अभीष्ठतम सॅस्तुति पर प्राथमिक विद्यालय की नवीन अस्थायी मान्यता की स्वीकृति इस आशा एवं विश्वास के साथ प्रदान की जाती है कि आप विशेष प्रयास करके निर्धारित समस्त प्रतिबन्धों की पूर्ति अवश्य किये रहेंगें।

यहॉ पर यह तथ्य भी विशेष उल्लेखनीय है कि यदि इसमें कोई तथ्य छिपाया गया हो अथवा गलत सूचना/ अभिलेख प्रस्तुत किये गये होगें तो इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित का होगा।

अतः अस्थायी मान्यता के दौरान, जॉच करने पर यदि किन्ही शर्तो में कोई त्रुटि/ कमी पाई जाती है अथवा नियम/शर्तो का पालन नही किया जाता है तो प्रश्नगत विद्यालय की अस्थायी मान्यता प्रत्याहरण की कार्यवाही बेसिक शिक्षा अधिनियम की धारा–12 के अनुसार की जायेगी।

भवदीय

3/5/03
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
इटावा

पृ0सं0 व0 लि0–मान्यता/ /2002–03 तद् दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सम्बन्धित सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी।
2. सम्बन्धित नगर शिक्षा अधिकारी, इटावा।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
इटावा